"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मार्च 2006—फाल्गुन 17, शक 1927

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-1/2001/नौ/55.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2006 होगा.

(2) यह तत्काल प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषायें**—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :-

(1) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

(2) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग.

(3) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग.

(4) "बिना संवर्ग" से अभिप्रेत है, जो किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं हो.

(5) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा, तथा दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये इन नियमों के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा.

(6) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़.

(7) "शासकीय अनुदान प्राप्त निजी चिकित्सा अथवा दन्त चिकित्सा महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसा निजी चिकित्सा अथवा दन्त चिकित्सा महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा अन्य शासकीय संपत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता आदि के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो.

(8) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदत्त चिकित्सा अथवा दन्त चिकित्सा महाविद्यालय.

(9) "विकलांग" से अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति जो "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का क्रमांक-1)" की धारा-2 (झ) की परिभाषा के अनुसार विकलांग की श्रेणी में आता हो, परन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दंत परिषद् द्वारा एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. में प्रवेश के लिये अयोग्य नहीं माना गया हो.

3. **पात्रता—**

केवल उसी अभ्यार्थी को प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी जो :-

(1) जो भारत का नागरिक हो.

(2) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.

स्पष्टीकरण 1 :- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी-छत्तीसगढ़ का मूल निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.

(3) **शैक्षणिक अर्हतायें —**
अनारक्षित श्रेणी के केवल वही अभ्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र होंगे जिन्होंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, एवं जीव विज्ञान विषयों सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 पद्धति से उत्तीर्ण किये हों तथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीवविज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों. आरक्षित श्रेणी के केवल वही अभ्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र होंगे जिन्होने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीवविज्ञान विषयों सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 पद्धति से उत्तीर्ण किये हों तथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीवविज्ञान विषयों में संयुक्त रूप न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो.

अथवा

उपरोक्त विषयों में किसी अन्य अधिकृत बोर्ड या विश्वविद्यालय से समतुल्य अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

(4) **आयुसीमा—**
किसी भी ऐसे अभ्यार्थी को चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी जो परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पूर्व की तिथि में 17 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले.

स्पष्टीकरण - आयु प्रमाणित करने के लिये उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को ही सही माना जायेगा, और नीचे दी गयी परिस्थिति को छोड़कर कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण स्वीकार नही किया जायेगा :-

ऐसे अभ्यार्थियों के प्रकरणों में जो मूल निवास के संबंध में नियम 3(2) के अंतर्गत अर्हता के पूर्ण करते हैं, एवं जिन्होंने अपने माता

पिता के साथ विदेश में, राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के उच्चतर माध्यमिक सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित की गयी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रवेश प्राधिकारी की संतुष्टि करने योग्य पर्याप्त वैकल्पिक दस्तावेजी प्रमाण स्वीकार किये जायेंगे.

(5) **परीक्षा के विषय—**
प्रवेश परीक्षा में भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry) प्राणी शास्त्र (Zoology) तथा वनस्पति विज्ञान (Botany) विषय के कुल चार प्रश्न पत्र होंगे.

4. **सीटों का निर्धारण एवं आरक्षण—**

सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

(1) समस्त शासकीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अभ्यार्थियों के लिये चिन्हांकित है तथा इन सीटों पर चयन अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा.

(2) समस्त शासकीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की 3 प्रतिशत सीटें केन्द्रीय पूल के नामनिर्देशितों के लिये चिन्हांकित हैं, तथा इन सीटों पर प्रवेश, संबंधित प्राधिकारी के द्वारा किये गये नाम निर्देशन के आधार पर होगा.

(3) प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित सीटें भरी जायेंगी :-

(क) समस्त शासकीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटा एवं केन्द्रीय पूल के नामनिर्देशितों के लिये चिन्हांकित सीटों को छोड़कर शेष सीटें.

(ख) शासकीय अनुदान प्राप्त निजी चिकित्सा एवं निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की समस्त सीटें इन नियमों के अन्तर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेंगी, परन्तु—

(1) इन संस्थाओं की प्रबंधन सीटों के लिये यह संस्थायें अतिरिक्त अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगी. उदाहरण के लिये अभ्यर्थी का संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से होना अल्पसंख्यक संस्था में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अर्हता के रूप में मान्य होगा.

(2) प्रबंधन सीटों के लिये यह संस्थायें पृथक से संस्था स्तर पर काउंसिलिंग कर सकेंगी, परन्तु इन्हें पीएमटी परीक्षा से उत्तीर्ण नियम-3 के अंतर्गत अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाना होगा.

(ग) निजी चिकित्सा एवं निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत सीटों में से राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत की सीटें प्रबंधन सीटें होंगी जिनका निर्धारण राज्य शासन अधिसूचना के द्वारा कर सकेगा. अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिये यह प्रबंधन सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत और अन्य संस्थाओं के लिये कुल स्वीकृत सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी.

(घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक गैर अनुदान प्राप्त निजी चिकित्सा और दन्त चिकित्सा महाविद्यालय होने पर वे अपने महाविद्यालयों के प्रबंधन सीटों के लिये राज्य शासन की देख-रेख में पृथक सामूहिक प्रवेश परीक्षा (Combined Entrance Test) आयोजित कर सकेंगे. परंतु उन्हें इसके लिये विधि सम्मत तथा पारदर्शी नियम बनाने होंगे. यदि ऐसे गैर अनुदान प्राप्त निजी चिकित्सा एवं निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ हो तो वे परीक्षा के वर्ष के 1 मार्च के पूर्व राज्य शासन से उनकी सीटों को इन नियमों के तहत आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल करने का अनुरोध कर सकेंगे. ऐसी स्थिति में उनकी सीटें इन विषयों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेंगी तथा ये नियम इन संस्थाओं पर पूरी तरह लागू होंगे.

(4) प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों में से अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये 15 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये 21 प्रतिशत सीटें तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं.

(5) प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों की सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत एवं विकलांग संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज एवं श्रेणीवार होगा. महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा. (अनुसूची- "अ" के अनुरूप)

स्पष्टीकरण -1 सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/पुत्री को ही मिलेगा

स्पष्टीकरण -2 सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गयी हो या स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों के लिये सीटें आरक्षित हैं. इस संवर्ग के अन्तर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यार्थी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री हैं. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में तथा अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण- पत्र निर्धारित प्रारुप में संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व के पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे.

अथवा

वह छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है. अभ्यार्थी को अपने माता-पिता के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 1 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है.

टिप्पणी - सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत किसी अभ्यार्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

स्पष्टीकरण -3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री एवं पौत्र/पौत्री/को ही मिलेगा.

स्पष्टीकरण - 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्ट्रेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है. इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यार्थियों को पात्रता होगी जो मूल निवास के सम्बन्ध में नियम 3 (2) के अंतर्गत अर्हताएं पूर्ण करते हैं.

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिसका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है. परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नि/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत हैं.

स्पष्टीकरण - 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थी को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारुप में प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा. कवेल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही अभ्यार्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा.

(6) सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, महिला संवर्ग के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित सूची में सीटें समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध योग्य अभ्यार्थियों को उनकी स्वयं की श्रेणी में मेरिट आधार पर बिना संवर्ग के उचित क्रमांक पर रखा जायेगा.

(7) कोई अभ्यार्थी आरक्षित श्रेणियों और/अथवा संवर्गों में से केवल किसी एक के अंतर्गत आरक्षण का दावा कर सकेगा और उसके लिये उसे निर्धारित प्रारुप में ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(8) **रिक्त सीटों पर प्रवेश :-**

(क) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, महिला संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के "बिना संवर्ग" से परिवर्तित कर दिया जायेगा.

(ख) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को पहले उसी संवर्ग की और उसी संवर्ग के पात्र अभ्यार्थी नहीं मिलने पर "बिना संवर्ग" की सीटों पर निम्नानुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी. इसी प्रकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी. यदि इन दोनों श्रेणियों से अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी. अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटें पहले अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी और अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यार्थी न होने की दशा में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी. इन तीनों श्रेणी के पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यार्थियों से भरी जायेंगी.

टिप्पणी :- यदि कोई अखिल भारतीय सीट खाली हो जाती है तो उसे विभिन्न श्रेणियों के बीच जिस प्रतिशत से प्रत्यक श्रेणी को आरक्षण दिया गया है उसी अनुपात में विभाजित कर दिया जायेगा.

5. **चयन प्रक्रिया :-**

(1) प्रवेश हेतु चयन के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा

(2) अनारक्षित श्रेणी के ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को प्रावीण्य सूची में शामिल किया जायेगा जो प्रवेश परीक्षा में भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry), प्राणी शास्त्र (Zoology) और वनस्पति विज्ञान (Botany) विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे. इसी प्रकार आरक्षित श्रेणियों के ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को प्रावीण्य सूची में शामिल किया जा सकेगा, जो प्रवेश परीक्षा में भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry), प्राणी शास्त्र (Zoology) और वनस्पति विज्ञान (Botany) विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे. प्रावीण्य सूची भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry), प्राणी शास्त्र (Zoology), और वनस्पति विज्ञान (Botany) विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनाई जायेगी तथा उनके नाम इन प्राप्तांकों के क्रमानुसार रखे जायेंगे. प्रावीण्य सूची में अभ्यार्थी का रोल नम्बर, नाम, संवर्ग, श्रेणी तथा कुल प्राप्तांक अंकित किये जायेंगे. प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार बनायी जायेंगी. अनारक्षित श्रेणी की सूची में आरक्षित श्रेणियों सहित सभी अभ्यार्थियों के नाम प्राप्तांक के आधार पर क्रमवार रखे जायेंगे.

(3) **समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :-**
विषयों की महत्ता के अनुसार निम्नलिखित क्रम में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को आधार बनाकर निश्चित की जायेगी -

1. भौतिक शास्त्र (Physics) 2. रसायन शास्त्र (Chemistry)
3. प्राणी शास्त्र (Zoology) 4. वनस्पति विज्ञान (Botany)

6. **काउंसिलिंग :-**

(1) संचालक द्वारा पंजीकृत डाक से सफल अभ्यार्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जायेगा.

(2) सभी अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठने के लिये कहा जायेगा.

(3) स्क्रुटनी हॉल में 10-10 के समूह में अभ्यार्थियों को बुलाया जायेगा, जहां उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जायेगी, जिससे उनकी उपयुक्तता सिद्ध हो.

(4) जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर 10-10 के समूह में के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जायेगा.

(5) अभ्यार्थियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतीक्षा/जांच कक्ष/काउंसिलिंग कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

(6) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का सभी अभ्यार्थियों को पालन करना अनिवार्य होगा. अन्यथा अभ्यार्थी को काउंसिलिंग के अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

(7) काउंसिलिंग समिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे. अभ्यार्थियों को उक्त समिति के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होना होगा.

(8) चयनित अभ्यार्थियों को उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों के प्रकार की सूचना काउंसिलिंग के समय दी जायेगी. उसे मात्र एक महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार का चयन करने का अधिकार होगा एवं उसके द्वारा चयनित महाविद्यालय पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार पर प्रवेश दिया जायेगा.

(9) काउंसिलिंग निम्न क्रम से की जायेगी :-

(क) अनारक्षित श्रेणी

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) अनुसूचित जाति

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग

(10) किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी को जिसका कि नाम अनारक्षित श्रेणी में भी रखा गया हो उसे निम्न चार में से किसी एक विकल्प का चयन लिखित में करना होगा तथा अभ्यार्थी द्वारा चयनित विकल्प अंतिम होगा एवं किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा :-

(क) काउंसिलिंग समिति के समक्ष अनारक्षित श्रेणी में उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार में उपस्थित होने के विकल्प.

(ख) काउंसिलिंग समिति के समक्ष अनारक्षित श्रेणी के प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार में उपस्थित होने का विकल्प.

(ग) अभ्यार्थी के आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार में उपस्थित होने का विकल्प.

(घ) अभ्यार्थी के आरक्षित श्रेणी के प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार में उपस्थित होने का विकल्प.

(11) काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग शुल्क रुपये 500/- अनारक्षित श्रेणी (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के छात्रों के लिये एवं रुपये 300/- आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के छात्रों को नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा. बैंक ड्राफ्ट संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा.

(12) काउंसिलिंग के विवादित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संचालक अथवा संचालक द्वारा गठित समिति का निर्णय ही अंतिम होगा.

7. (1) काउंसिलिंग के समय अभ्यार्थी को अपने मूल प्रमाण-पत्र तत्काल जमा करने होंगे.

मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में वह काउंसिलिंग में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा.

(2) काउंसिलिंग के समय स्वीकृत किये गये महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट के प्रकार को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा.

प्रत्येक अभ्यार्थी को काउंसिलिंग के समय पूरा शुल्क जमा करके तत्काल प्रवेश लेना होगा, अन्यथा उनका अवसर समाप्त माना जायेगा.

8. एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र को राज्य शासन के पक्ष में इस आशय का एक बांड निष्पादित करना अनिवार्य होगा कि वह स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद शासन द्वारा अधिसूचित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष तक शासकीय चिकित्सक के रूप में कार्य करेगा. अनारक्षित श्रेणी के छात्र के लिये बाण्ड की राशि रुपये 75,000/- एवं आरक्षित श्रेणी के छात्र के लिये रुपये 40,000/- होगी.

9. **प्रवेश का निरस्तीकरण :-**
यदि यह पाया जाता है कि अभ्यार्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रासंगिक तथ्य छुपाया था अथवा प्रवेश की बाद की अवधि में किसी भी समय यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसे अभ्यार्थियों को दिया गया प्रवेश बिना किसी सूचना के उसके अध्ययन की अवधि में किसी भी समय संस्था के प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा. प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

10. **चिकित्सकीय उपयुक्तता :-**
चयनित अभ्यार्थियों को प्रवेश तभी मिल सकेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो सकेंगे.

11. **प्रवेश बंद होना :-**
प्रवेश 30 सितंबर को बन्द हो जायेंगे तथा सभी लंबित प्रवेश/प्रतीक्षा सूची उस तिथि के उपरान्त कालातीत हो जायेंगे.

12. **शुल्क :-**
पाठ्यक्रमों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा तथा संस्थाओं द्वारा इनमें वृद्धि नहीं की जा सकेगी.

13. **नियमों की व्याख्या :-**
प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा. यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

14. **निरसन :-**
इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छत्तीसगढ़ मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम-2003 निरसित किये जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

अनुसूची - अ

श्रेणी	स्व. सं. सेनानी	सैनिक	विकलांग
अनारक्षित श्रेणी	01	01	01
अनु. जनजाति श्रेणी	01	01	01
अनु. जाति श्रेणी	01 प्रत्येक विषम वर्ष	01 प्रत्येक विषम वर्ष	01 प्रत्येक विषम वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	01 प्रत्येक सम वर्ष	01 प्रत्येक विषम वर्ष	01 प्रत्येक विषम वर्ष

(**नोट :** माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4714/2005 में पारित निर्णय तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उर्ध्व एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जावेगा.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.